न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

जिला वन अधिकारी बनाम सुरजाराम

प्रकरण का प्रकार 223 आरटीएक्ट क्रमांक 251/2011 (2011/00389)

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
06.10.2022	पत्रावली प्रार्थी औमप्रकाश द्वारा दिनांक 10.12.2019 को प्रस्तुत अबेटमेन्ट प्रार्थना–पत्र पर आदेश हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन कियाकि रेस्पोडण्ट सुरजाराम पुत्र तेजाराम दिनांक 10.02.2019 को फौत हो चुका है अपीलाण्ट ने रेस्पोडण्ट सुरजाराम के फौत होने की सूचना न्यायालय में नहीं दी और सुरजाराम के वारीसान को अपील में पक्षकार नहीं बनाया जाने की कोई कार्यवाही नहीं की है इसलिए अपील अपीलाण्ट अबेट हो चुकी है अतः अपील अबेट फरमाई जावे। विद्वान अधिवक्त ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 1995 (2) पेज 193, आरआरडी 2005 पेज 764, डीएनजे एससी 1999 पेज 164, डीएनजे एससी 1997 पेज 49 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये। अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने आदेश 22 नियम 4 व 9 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश किया एवं मृतक रेस्पोडेण्ट सुरजाराम के वारिसान को अभिलेख पर लेने के निवेदन किया एवं वारिसान की सूचि उपलब्ध नहीं होन के कारण आवेदन पत्र भीतर मियाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था अब सूचि प्राप्त होते ही आवेदन प्रस्तुत कर दिया है इसलिए न्यायहित में देरी क्षमा की जाकर अपील के उपशमन को अपास्त किये जाने का निवेदन किया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया रेस्पोडेण्ट सुरजाराम दिनांक 10.02.2019 को फौत हो गया था। सुरजाराम के फौत होने की सूचना प्रार्थी दिनांक 10.12.2019 को दे दी थी। अपीलाण्ट ने इस प्रार्थना–पत्र का कोई जवाब पेश नहीं किया बल्कि उक्त	

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने के लगभग तीन वर्ष बाद 25.05.2022 को प्रार्थना–पत्र पेश किया किया और रेस्पोडेण्ट के सुरजाराम के वारिसान को रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया है। कानूनन पक्षकार के फौत हो जाने पर 90 दिवस में कायम मुकाम पेश किये जाने का प्रावधान है। अपीलाण्ट ने 90 दिन की अवधि में कायम मुकाम हेतु प्रार्थना–पत्र पेश नहीं किया अपीलाण्ट अपील में प्रार्थी द्वारा सूचना देने के तीन वर्ष बाद अबेटमेंट प्रार्थना–पत्र का कोई जवाब पेश नहीं किया गया है। बल्कि आदेश 22 नियम 4 सीपीसी सपठित धारा 4 व 9 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया है, प्रार्थना–पत्र अन्दर मियाद भी नहीं है तथा प्रार्थना–पत्र के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र भी पेश नहीं किया है अतः रेस्पोडेण्ट के वारीसान को रिकार्ड पर लेने हेतु निर्धारित अवधि में प्रार्थना–पत्र पेश नहीं करने के कारण अपील स्वतः अवैट हो चुकी है ।

अतः अपील अबैट होने के कारण इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली नंबर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

6/x/22

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़